उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या–3884 / छः–पु0–9–22–13(10) / 84टी0सी0

लखनऊः दिनांकः 28 सितम्बर,2022

अधिसूचना

(प्रकीर्ण)

सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या–3, सन् 1867) की धारा–2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्धों का (जिनका विस्तार पहले नहीं किया गया है) जिला बदायूँ में गंगा मेला ककोड़ा के क्षेत्र पर जिसमें ग्राम–कादरगंज खाम, परगना निधिपुर, तहसील पटियाली, जिला कासगंज गंगा जी की मुख्य धारा के समीप जिसमें लगभग 08 कि0मी0 अर्द्धब्यास के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट है, दिनांक–01.11.2022 से दिनांक 15.11.2022 (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) तक की अवधि के लिए विस्तार करते हैं।

डॉ0 बी0डी0 पॉल्सन

सचिव।

संख्या–3884(1) / छः–पु0–9–22–13(10) / 84टी0सी0,तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को गजट के आगामी अंक के भाग–4,खण्ड–'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। पांच–पांच मुद्रित प्रतियां शासन एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सभापति बिन्द)

अनु सचिव।

संख्या–3884(2) / छः–पु0–9–22–13(10) / 84टी0सी0,तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0,लखनऊ।
(2) आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
(3) जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ को उनके पत्रांक–1865 / न्याय सहायक / 2022 दि0–18.08.2022 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया मुद्रित प्रतियां संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ से शीघ्र प्राप्त करने का कष्ट करें।
(4) पुलिस अधीक्षक बदायूँ।
(5) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।
(6) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(सभापति बिन्द)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या–3884(ए)/छः–पु0–9–22–13(10)/84टी0सी0

लखनऊः दिनांकः 28 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

(प्रकीर्ण)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या–5 सन् 1861) की धारा–34 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित जिले में, स्तम्भ–3 में उल्लिखित मेला द्वारा अध्यारित किये जाने वाले, स्तम्भ–4 में उल्लिखित ग्रामीण क्षेत्र पर उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबन्धों का विस्तार, उक्त उपधारा (1) में उल्लिखित सभी अपराधों के सम्बन्ध में, स्तम्भ–5 में मेला के सामने उल्लिखित अवधि के लिए करते हैं:–

–:अनुसूची:–

क0	जिला का नाम	मेला का नाम	मेला का स्थान	अवधि (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए)
1	2	3	4	5
1	बदायूँ	मेला ककोड़ा	ग्राम–कारदगंज खाम, परगना निधिपुर, तहसील पटियाली, जिला कासगंज गंगा जी की मुख्य धारा के समीप जिसमें लगभग 08 किलोमीटर अर्द्धब्यास के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट है। निश्चित स्थान अज्ञात, क्योंकि गंगा नदी के कटान की स्थिति में स्थान परिवर्तन की संभावना रहती है और मेला आरम्भ होने से लगभग 01 माह पूर्व मेला स्थल का चयन किया जाता है ।	दिनांक–01.11.2022 से 15.11.2022 तक

डॉ0 बी0डी0 पॉल्सन

सचिव।

संख्या–3884(ए)(1)/छः–पु0–9–2022,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को गजट के आगामी अंक के भाग–4, खण्ड–'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। पांच–पांच मुद्रित प्रतियां शासन एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(सभापति बिन्द)

अनु सचिव।

F:\Data Police-9\Notification DRAFT 7921

संख्या–3884(ए)(2) / छः–पु0–9–2022,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ को उनके पत्रांक–1865 / न्याय सहायक / 2022 दिनांक 18.08.2022 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया मुद्रित प्रतियां संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ से शीघ्र प्राप्त करने का कष्ट करें।

(4) पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।

(5) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।

(6) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(सभापति बिन्द)
अनु सचिव।

F:\Data Police-9\Notification DRAFT 7921